



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022020-216437
CG-DL-E-27022020-216437

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2020/फाल्गुन 8, 1941

No. 814]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2020/PHALGUNA 8, 1941

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2020

का.आ. 888(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) को धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर-राज्यीय नदी महादायी के विषय में जल विवाद के अधिनिर्णयन हेतु दिनांक 16 नवंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2786(अ) द्वारा महादायी नदी विवाद अधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिकरण कहा गया है) का गठन किया गया था;

और जबकि, अधिकरण ने 14 अगस्त, 2018 को रिपोर्ट-एवं-अंतिम निर्णय पारित किया है और इस अग्रिम अपेक्षित कार्रवाई हेतु केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया है;

और जबकि, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य और गोवा राज्य ने उच्चतम न्यायालय में अधिकरण के दिनांक 14.08.2018 की रिपोर्ट-एवं-निर्णय के विरुद्ध क्रमशः एसएलपी (सी) संख्या 32517/2018, 33018/2018, 19312/2019 दायर की हैं;

और जबकि, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.02.2020 को एसएलपी संख्या 33018/2018 में आईए संख्या 109720/2019 में निर्देश दिए हैं, कि-

"कर्नाटक राज्य ने महादायी जल विवाद अधिकरण के दिनांक 14 अगस्त, 2018 के पंचाट को प्रकाशित करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने के लिए एक अंतर्वादीय आवेदन दायर किया है।

गोवा राज्य की ओर से श्री अरविंद पी दतार, लब्धप्रतिष्ठ वरिष्ठ वकील अथवा महाराष्ट्र राज्य की ओर से श्री दीपक नारगोलकर, लब्धप्रतिष्ठ वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करने के आवेदन का विरोध नहीं किया गया है।

लंबित कार्रवाईयों का परिणाम प्राप्त न होने की स्थिति पर अंतर्जातीय आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।”

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिकरण का उपर्युक्त पंचाट और अंतिम निर्णय प्रकाशित करती है, नामतः:-

महादायी जल विवाद अधिकरण का पंचाट और अंतिम निर्णय

(गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच जल विवाद नामतः अंतर्राज्यीय नदी महादायी और उसकी नदी घाटी के संबंध में विवाद)

खंड-I

महादायी नदी अथवा मांडवी नदी अथवा मदाई नदी अथवा महादई नदी एक ही है और इसकी समान नदी प्रणाली है। विशिष्ट क्षेत्र में इसके लिए विशिष्ट नाम का प्रयोग किया जा रहा है और इस आदेश में उल्लेख की गई महादायी नदी अथवा महादायी नदी बेसिन संपूर्ण नदी और नदी प्रणाली के लिए है;

खंड-II

महादायी बेसिन 2032 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में बहती है जिसमें से 375 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र कर्नाटक राज्य में, 77 वर्ग कि.मी. महाराष्ट्र राज्य में तथा शेष क्षेत्र गोवा राज्य में आता है;

खंड-III

इस मामले के उद्देश्यों के लिए 2032 वर्ग कि.मी. के कुल आवाह क्षेत्र के साथ संपूर्ण महादायी बेसिन (सभी सहायक नदियों सहित) की जल उपलब्धता अर्थात् 75% निर्भरता पर महादायी नदी बेसिन के 2032 वर्ग कि.मी. के आवाह क्षेत्र में सृजित रनऑफ 5327.5 एमसीयूएम (188.06 टीएमसी) के रूप में निर्धारित किया गया है। यहां पर निर्धारित की गई जल की उपलब्धता में तिल्लारी सिंचाई परियोजना के माध्यम से तिल्लारी (चपोरा) नदी से महादायी नदी बेसिन को दिया गया जल शामिल नहीं है;

खंड-IV

इस मामले के उद्देश्यों के लिए 75% निर्भरता पर कर्नाटक राज्य के क्षेत्र में महादायी नदी की सहायक नदियों सहित महादायी नदी के आवाह क्षेत्र की (375 वर्ग कि.मी. के आवाह क्षेत्र के लिए) जल उपलब्धता 909.8 एमसीयूएम (32.11 टीएमसी) के रूप में निर्धारित की गई है;

खंड-V

इस मामले के उद्देश्यों के लिए 75% निर्भरता पर महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र में महादायी नदी की सहायक नदियों के आवाह क्षेत्र की (77 वर्ग कि.मी. के आवाह क्षेत्र के लिए) जल उपलब्धता 204.2 एमसीयूएम (7.21 टीएमसी) के रूप में निर्धारित की गई है;

खंड-VI

इन तथ्यों को नोट किया गया कि:

- (क) महादायी नदी बेसिन के जल के उपयोग का वर्तमान स्तर 75% निर्भरता पर जल उपलब्धता के 5% से अधिक नहीं है;
- (ख) राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए संबंधित पक्षकार राज्यों द्वारा महादायी नदी बेसिन जल की भावी आवश्यकता का प्रक्षेपण पूर्ण रूप से उचित नहीं है क्योंकि प्रक्षेपण इस प्रकार हैं (i) यह उपयुक्त और संगत आंकड़े अथवा सूचना पर आधारित नहीं हैं। (ii) वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन पर आधारित नहीं हैं। (iii) उपयुक्त मूल्यांकन और सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिकीय स्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है और (iv) संसाधन की सततता की जांच किए बिना है;
- (ग) विभिन्न मानदंडों विशेषतया हेलसिंकी नियमावली अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ, बर्लिन सम्मेलन, 2004 के जल संसाधन कानून में किए गए उल्लेख को ध्यान में रखकर समान वितरण के लिए तीनों राज्यों की मांगों के

मूल्यांकन के लिए सभी अपेक्षित आंकड़े और सूचना उनके संबंधित मामलों अथवा दावों में संबंधित राज्यों द्वारा प्रदान नहीं की गई है; अधिकरण ने पाया कि पक्षकार राज्यों के बीच महादायी जल का समान वितरण इस स्तर पर न तो आवश्यक है और न ही सरल है;

खंड-VII

अधिकरण का यह स्पष्ट मत है और इसलिए निर्णय करती है कि पक्षकार राज्यों के बीच जल के किसी भी तरह के वितरण न होने की स्थिति में समाज के लाभ के लिए जल संसाधन विकास से संबंधित कार्यकलापों को नहीं रोका जाए और पक्षकार राज्य के लोग उससे प्रभावित न हों। इसलिए अधिकरण ने राज्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने के पश्चात और सभी उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए तथा (क) संसाधन की सततता, और (ख) पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए खंड VIII में बताए अनुसार राज्यों को विशिष्ट कार्यकलाप करने की अनुमति देता है;

खंड-VIII एवं खंड IX

तीन पक्षकार राज्यों नामतः कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा को महादायी नदी में विशिष्ट जल संसाधन विकास कार्यकलाप करने के लिए अनुमति दी जाती है जोकि निम्नानुसार है:

(क) कर्नाटक

- i. प्रस्तावित महादायी जल विद्युत परियोजना के माध्यम से जलाशय अथवा जलाशयों से वाष्पीकरण से होने वाले नुकसानों के साथ महादायी नदी बेसिन में पेयजल और सिंचाई के लिए इन बेसिन उपभोज्य प्रयोग के लिए कर्नाटक राज्य की 42.5 एमसीयूएम (1.5 टीएमसी) की मांग को उपयुक्त माना गया है और एतद् द्वारा अधिकरण द्वारा स्वीकृति दी जाती है;
- ii. जल उपलब्धता, जल की आवश्यकता, जल की मांग, पर्यावरण बहाव के प्रति आवश्यक अपेक्षाएं, और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य को प्रस्तावित भंदूरा बांध में महादायी जल के 61.8 एमसीयूएम (2.18 टीएमसी) को तथा प्रस्तावित कलासा बांध में 48.7 एमसीयूएम (1.72 टीएमसी) जल को डायवर्ट करने की भी अनुमति दी जाती है बशर्ते कि निम्नलिखित निर्देशों को पूरा किया जाए:
 - क. कर्नाटक राज्य प्रस्तावित भंदूरा बांध स्थल पर अधिकतम 61.8 एमसीयूएम (2.18 टीएमसी) के लिए बेसिन में उपभोज्य प्रयोगों अथवा बेसिन के बाहर जल के डायवर्जन के लिए जलाशयों की हानि और अन्य संबंधित मामलों सहित स्कीमों की नई योजनाएं और विकास करेगा;
 - ख. कर्नाटक राज्य प्रस्तावित कलासा बांध स्थल पर अधिकतम 48.7 एमसीयूएम (1.72 टीएमसी) के लिए बेसिन में उपभोज्य प्रयोगों अथवा बेसिन के बाहर जल के डायवर्जन के लिए जलाशयों की हानि और अन्य संबंधित मामलों सहित स्कीमों की नई योजनाएं और विकास करेगा;
 - ग. ऐसे उपयोगों के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की पूरी तरह से समीक्षा और संशोधन करना आवश्यक होगा। कर्नाटक राज्य महादायी नदी बेसिन से जल के डायवर्जन के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करेगा; और
 - घ. विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के रूप में प्रस्ताव पर केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन होने तथा सभी आवश्यक स्वीकृतियां जो कि कानून द्वारा अपेक्षित हैं, प्राप्त करने के पश्चात कार्यान्वयन हेतु विचार किया जाएगा;
- iii. कर्नाटक राज्य को पेयजल, सिंचाई और अन्य संबंधित मामलों के लिए बेसिन में जल के 42.5 एमसीयूएम (1.5 टीएमसी) के ऊपर उल्लेख किए गए उपभोज्य प्रयोग के अलावा जल विद्युत सृजन, गैर-उपभोज्य प्रयोग के लिए कोटनी में महादायी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तैयार करने की अनुमति दी गई है। तथापि, कर्नाटक राज्य अधिकरण द्वारा आंकी गई 75 प्रतिशत निर्भरता पर जल की उपलब्धता (93.19 वर्ग कि.मी. आवाह क्षेत्र से अर्थात् 32.25 वर्ग कि.मी. के भंदूरा आवाह के बिना) अधिकतम 227.4 एमसीयूएम (8.02 टीएमसी) की सीमा के साथ प्रस्तावित परियोजना स्थल पर 75 प्रतिशत निर्भरता पर जल की उपलब्धता को अपनाकर प्रस्तावित महादायी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करेगा। कर्नाटक राज्य को स्पष्ट रूप में यह निर्देश दिए गए हैं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की पूर्ण रूप से समीक्षा और संशोधन के

पश्चात् ही ऐसे उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के रूप में प्रस्तावों पर कार्यान्वयन हेतु तभी विचार किया जाएगा: (क) केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात्; और (ख) कानून द्वारा अपेक्षित सभी अनिवार्य स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात्। जब तक ये सभी कार्य पूरे नहीं कर लिए जाती तब तक प्रस्तावित महादायी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, कोटनी में कर्नाटक राज्य द्वारा वास्तव में किसी भी मात्रा में जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा;

- iv. जल विद्युत के सृजन के लिए काली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सुपा जलाशय को महादायी नदी बेसिन का 156.6 एमसीयूएम (5.527 टीएमसी) जल के डायवर्जन के लिए कर्नाटक राज्य की मांग को अधिकरण द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया;
- v. महादायी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के प्रस्तावित कोटनी जलाशय से अतिरिक्त जल की 198.3 एमसीयूएम (7 टीएमसी) के प्रस्तावित डायवर्जन के संबंध में कर्नाटक राज्य की मांग को भी उपयुक्त नहीं पाया गया और इसे अधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया;

ख. महाराष्ट्र

- i. अधिकरण महाराष्ट्र राज्य को विरदी वृहद परियोजना के लिए एमआई परियोजना के लिए जल 15.93 एमसीयूएम (0.56 टीएमसी) तक सीमित करने की अनुमति देता है जिसमें जलाशय के नुकसानों सहित सभी उपभोज्य प्रयोग शामिल होंगे बशर्ते कि महाराष्ट्र राज्य परियोजना की विशेषताओं को संशोधित करे और बेसिन के अंदर विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिकतम 15.93 एमसीयूएम (0.56 टीएमसी) जल को उपयोग करने के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करे;
- ii. अधिकरण, महाराष्ट्र राज्य को कुल 21.8 एमसीयूएम 0.77 टीएमसी पानी के प्रयोग के संबंध में चार प्रस्तावित परियोजनाओं को भी अनुमति प्रदान करता है, नामशः (क) लघु सिंचाई परियोजना के लिए 0.32 टीएमसी (मोराची राय), (ख) विर्दी बी लघु सिंचाई परियोजना के लिए 0.16 टीएमसी, (ग) धांगरवाडी लघु सिंचाई परियोजना के लिए 0.27 टीएमसी और (घ) आमदगांव लघु सिंचाई परियोजना के लिए 0.02 टीएमसी पानी;
- iii. उल्लिखित प्रस्तावों में महाराष्ट्र की राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की व्यापक समीक्षा और निगरानी के और सुधार की आवश्यकता होगी और यह केवल तभी होगा जब (क) केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की तकनीकी मूल्यांकन कर लिया गया हो, और (ख) सभी कानूनी अपेक्षित अनिवार्य स्वीकृति हासिल कर ली गई हों;
- iv. सभी में, महाराष्ट्र राज्य को महादायी पानी के 37.73 एमसीयूएम (1.33 टीएमसी) का उपयोग करने की अनुमति है, जिसमें जलाशय और अन्य नुकसान के साथ सभी खपत किए जाने वाले प्रयोग शामिल होंगे। महाराष्ट्र राज्य के बाकी दावों को न्यायसंगत नहीं पाया गया है और उन्हें एतद्वारा खारिज किया जाता है;

ग. गोवा

- (i) अधिकरण ने पाया है कि चिह्नित 59 परियोजना स्थलों के प्रोफाइल, जिन्हें गोवा राज्य (हालांकि इन रिपोर्टों को 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' नहीं माना जा सकता है), द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, विशेषकर प्रत्येक परियोजना स्थल पर जल की उपलब्धता के संबंध में, उपयोग किए जाने वाले जल की उपलब्धता और अन्य संबंधित मामलों में, तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के संभावित प्रयोग, अपेक्षित फील्ड जांच और अध्ययनों पर आधारित नहीं हैं। लेकिन, गोवा सरकार द्वारा 59 जल संसाधन विकास परियोजना स्थलों की पहचान करना, सकारात्मक दिशा में एक कदम है। अन्य किसी विश्वसनीय कार्य योजना की गैर मौजूदगी में, अधिकरण गोवा राज्य को निम्नलिखित के साथ आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान करता है; (क) सही जांच और अध्ययनों को किया जाना; (ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना (ग) केन्द्रीय एजेंसियों से स्वीकृति प्राप्त करना; और (घ) ऊपर उल्लिखित 59 अभिज्ञात परियोजनाओं के माध्यम से पिचहत्तर प्रतिशत निर्भरता पर महादायी नदी बेसिन के 668 एमसीयूएम (24 टीएमसी) जल के अधिकतम उपभोज्य उपयोग के लिए सभी अनिवार्य क्लियरें प्राप्त करना (मानव तथा पशु दोनों के लिए पेयजल आवश्यकताओं, नगरपालिका जल आवश्यकताओं नगरपालिका जल आवश्यकताओं, सिंचाई जल आवश्यकताओं और औद्योगिक जल मांगों और औद्योगिक जल मांगों सहित) अधिकरण, गोवा राज्य द्वारा महादायी नदी बेसिन के जल के गैर-उपभोज्य पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है;

- (ii) गोवा राज्य को अधिकरण से पचहत्तर प्रतिशत निर्भरता पर 668 एमसीयूएम (24 टीएमसी) पानी के उपयोग की योजना बनाने की अनुमति के लिए गोवा राज्य को अधिकरण की अनुमति है जो गोवा राज्य द्वारा 9.395 टीएमसी पानी के मौजूदा उपयोग से अधिक है;
- (iii) गोवा राज्य को 75 प्रतिशत निर्भरता पर 24 टीएमसी जल के अधिकतम योजना तैयार करने और प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते बेसिन में निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं:
- (क) अप्रैल, 2015 में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाएं या कार्यकलापों के लिए पिचहत्तर प्रतिशत निर्भरता पर पानी की उपलब्धता और उपरोक्त स्थलों में से प्रत्येक पर उपयोग्य पानी का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन या पर्यावरणीय प्रबंधन योजना रिपोर्ट के लिए "संदर्भ की मानक शर्तों (टीओआर)" के अनुसार पर्यावरणीय प्रवाह के लिए विधिवत हिसाब में लेने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा;
- (ख) उल्लिखित 59 परियोजनाओं में से प्रत्येक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी मूल्यांकन केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किया जाएगा; और
- (ग) ऊपर उल्लिखित 59 परियोजनाओं में से प्रत्येक की अनिवार्य स्वीकृति सक्षम प्राधिकरणों द्वारा ली जाएगी।

खंड -X

इस अधिकरण द्वारा 17 अप्रैल, 2014 को, गोवा राज्य द्वारा दायर आईए संख्या 2012 का 1 के निपटान में पारित आदेश में इसके प्रचालन को जारी रखा जाएगा और इसको तभी निरस्त या पुनः शुरू इसके बाद माना जाएगा :

- (i) खंड-VIII एवं खंड IX के अंतर्गत यथा अनुमत्य प्रस्तावित कलासा बांध स्थल पर 1.72 टीएमसी से अनाधिक के लिए कर्नाटक राज्य, बेसिन के अंतर्गत उपभोग्य प्रयोग या बेसिन से बाहर जल के विचलन जिसमें जलाशय हानि और अन्य मामलों को शामिल करते हुए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है;
- (ii) कलासा बांध पर विचलन योजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया गया है और जिसे यथावत स्वीकार किया जाता है;
- (iii) सभी अनिवार्य स्वीकृतियां विधि के अनुसार हासिल की जाती हैं; और
- (iv) कर्नाटक राज्य को जिसे महादायी जल प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यथावत स्वीकृत होने पर कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाती है।

खंड-XI

इस अधिकरण द्वारा 11 फरवरी, 2015 को, गोवा राज्य द्वारा दायर आईए संख्या 2012 के 28 का निपटान करते समय 11 फरवरी, 2015 को इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश प्रचालन को जारी रखा जाएगा और इसको तभी निरस्त या पुनः शुरू माना जाएगा तब:

महाराष्ट्र राज्य विर्दी वृहत लघु सिंचाई परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करता है, जलाशय हानि और खंड-VIII एवं खंड IX के तहत प्रदत्त अनुमति के अनुसार अन्य संबंधित मामलों को शामिल करते हुए 0.56 टीएमसी जल के उपभोग्य प्रयोग को सीमित करता है;

- विर्दी वृहत लघु सिंचाई परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किया गया और इसे यथावत स्वीकृत किया जाता है;
- सभी अनिवार्य स्वीकृतियों को विधि अनुसार प्राप्त किया जाता है; और
- महाराष्ट्र राज्य को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसे महादायी जल प्रबंधन प्राधिकरण या केन्द्र सरकार द्वारा यथावत स्वीकृत किया गया हो, के अनुसार कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाती है;

खंड -XII

केन्द्र सरकार एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे 'महादायी जल प्रबंधन प्राधिकरण' कहा जाएगा जो रिपोर्ट का कार्यान्वयन और इस रिपोर्ट के पैरा 1350 से पैरा 1369 में उल्लिखित कार्यों और संयोजन इत्यादि के अनुसार महादायी जल विवाद अधिकरण के निर्णयों को अंतिम रूप देगी;

खंड-XIII

31 अगस्त, 2048 के बाद किसी भी समय निर्णय या अंतिम निर्णय या सक्षम प्राधिकरण या अधिकरण द्वारा समीक्षा की जा सकती है लेकिन, ऐसी पुनर्समीक्षा या समीक्षा, जहां तक संभव हो किसी भी उपयोग को हानि न पहुंचाएं, जिसे किसी राज्य द्वारा इसको आवंटित सीमाओं के भीतर शुरू किया गया हो;

खंड -XIV

गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारें अधिकरण के सम्मुख पेश होने के लिए स्वयं अपना खर्च वहन करेंगी। अधिकरण के खर्च का वहन और भुगतान उल्लिखित तीन राज्यों द्वारा समान हिस्सेदारी के रूप में किया जाएगा;

खंड-XV

इसमें निहित किसी भी खंड या सभी में पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से परिवर्तन, संशोधन या सुधार नहीं किया जा सकेगा; तथा

खंड-XVI

अधिकरण का यह निर्णय या अंतिम निर्णय, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 द्वारा गया आवश्यक आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त 14, 2018

ह./- जे. एम. पंचाल; अध्यक्ष

ह./- विनय मित्तल; सदस्य

ह./- पी. एस. नारायण, सदस्य

[फा. सं.19/2/2020-बीएम]

यू. पी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2020

S.O. 888(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956(33) of 1956 (hereinafter referred to as “ the Act”), had constituted by notification number S.O.2786(E), dated the 16th November, 2010, the Mahadaya Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as “ the Tribunal”) to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-state river Mahadaya;

And whereas, the Tribunal has given Report-cum-final decision on the 14th August, 2018 and forwarded the same to the Central Government for further necessary action;

And whereas the State of Maharashtra, the State of Karnataka and the State of Goa have filed SLP(C) No. 32517/2018, 33018/2018, 19312/2019 respectively against the Report-cum-final decision dated the 14th August, 2018 of the Tribunal in the Hon'ble Supreme Court;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court has given its direction on the 20th February, 2020 in I.A. No. 109720/2019 in SLP No.33018/2018, that—

“The State of Karnataka has filed an interlocutory application for a direction to the Union of India to publish the award dated the 14th August, 2018 of the Mahadayi Water Disputes Tribunal.

The prayer is not opposed by Mr. Arvind P. Datar, learned Senior Counsel appearing on behalf of the State of Goa or by Mr. Deepak Nargolkar, learned Senior Counsel appearing on behalf of the State of Maharashtra.

The interlocutory application is allowed, subject to the result of the pending proceedings.”

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, the Central Government hereby publishes the aforesaid Award and final decision of the Tribunal, namely:-

AWARD AND FINAL DECISION OF THE MAHADAYI WATER DISPUTES TRIBUNAL

(Water Dispute amongst the States of Goa, Karnataka and Maharashtra, namely, dispute regarding the Inter-State River Mahadayi and the river valley thereof.)

Clause-I

The river Mahadayi or river Mandovi or river Madei or river Mhadei is one and the same river system, specific name being used in a particular region, and river Mahadayi or Mahadayi river basin, referred to in this Order is for the entire river and river system;

Clause-II

The Mahadayi river basin drains an area of 2032 sq.km., out of which an area of 375 sq.km. lies in the State of Karnataka, 77 sq.km. in the State of Maharashtra and rest in the State of Goa;

Clause-III

For the purposes of this case, the water availability of the entire Mahadayi river basin (inclusive of all tributaries) with total catchment area of 2032 sq.km. i.e., runoff generated over the catchment area of 2032 sq.km. of Mahadayi river basin at seventy-five percent dependability is determined as 5327.5 Mcum (188.06 tmc). The water availability determined herein does not include the import of water to Mahadayi river basin from Tillari (Chapora) river through Tillari Irrigation Project;

Clause-IV

For the purposes of this case, the water availability of the catchment area of the Mahadayi river including the tributaries of the Mahadayi river in the territory of the State of Karnataka (for the catchment area of 375 sq.km.) at 75% dependability is determined as 909.8 Mcum (32.11 tmc);

Clause-V

For the purposes of this case, the water availability of the catchment area of the tributaries of the Mahadayi river in the territory of the State of Maharashtra (for the catchment area of 77 sq.km.) at 75% dependability is determined as 204.2 Mcum (7.21 tmc);

Clause-VI

Having noted the facts that:-

- (a) the present level of utilization of waters of Mahadayi river basin is not more than five percent of the water availability at seventy-five percent dependability;
- (b) the projection of the future requirements of waters of Mahadayi river basin by the respective party States for various purposes in the States is not fully justified as the projections are (i) not based on adequate and consistent data or information, (ii) not based on scientific research and studies, (iii) without proper evaluation and consideration of social, economic and ecological considerations, and (iv) without examining the sustainability of the resource;
- (c) all the requisite data and information required for evaluation of the demands of the three States for equitable apportionment in light of various criteria, particularly those mentioned in either

the Helsinki Rules or the Water Resources Law of International Law Association, Berlin Conference, 2004, are not provided by the respective States in their respective cases or claims; the Tribunal finds that equitable apportionment of Mahadayi waters amongst the party States is neither necessary nor feasible at this stage;

Clause-VII

The Tribunal is of the firm view and hence decides that in the absence of any apportionment of water amongst the party States, the activities related to water resources development for the benefit of the society must not stop and people of the party State must not suffer. Therefore, the Tribunal, after examination of the various proposals submitted by the States and keeping in view all available information and particularly from the view point of (a) sustainability of the resource, and (b) ecological needs, permits the States to undertake specific activities as stated in Clause VIII;

Clause-VIII & IX

The three party States, namely, Karnataka, Maharashtra and Goa, are permitted to undertake specific water resources development activities in the Mahadayi river basin as under;

A. KARNATAKA

- (i) The demand of the State of Karnataka for 42.5 Mcum (1.5 tmc) of water for in-basin consumptive use for drinking water and irrigation within the Mahadayi river basin, along with evaporation losses from the reservoir (or reservoirs) through proposed Mahadayi Hydro-Electric Project is considered as reasonable and is hereby granted by the Tribunal;
- (ii) Keeping in view the overall scenario related to water availability, water needs, water demands, essential requirements towards environmental flow, and other related matters, the State of Karnataka is also permitted to divert 61.8 Mcum (2.18 tmc) of Mahadayi water at proposed Bhandura dam and 48.7 Mcum (1.72 tmc) of water at proposed Kalasa dam, only subject to fulfilling the following directions:
 - (a) The State of Karnataka shall undertake fresh planning and development of schemes for consumptive uses within the basin or diversion of water outside the basin, including the reservoir losses, and other related matters, for not more than 61.8 Mcum (2.18 tmc) at the proposed Bhandura dam site;
 - (b) The State of Karnataka shall undertake fresh planning and development of scheme for consumptive uses within the basin or diversion of water outside the basin including the reservoir losses and other related matters for not more than 48.7 Mcum (1.72 tmc) at the proposed Kalasa dam site;
 - (c) Such utilizations shall necessarily require thorough review and modification of the Detailed Project Reports by the State Government of Karnataka. The State of Karnataka shall prepare modified Detailed Project Reports for diversion of water from the Mahadayi river basin; and
 - (d) The proposals in the form of Detailed Project Reports would be considered for implementation only after technical appraisal of the proposed projects by the central agencies, and only after obtaining all mandatory clearances as required by law;
- (iii) The State of Karnataka is permitted to develop the Mahadayi Hydro Electric Power Project at Kotni for hydropower generation, a non-consumptive use, in addition to the aforementioned consumptive use of 42.5 Mcum (1.5 tmc) of water within the basin for drinking water, irrigation, and other related matters. However, the State of Karnataka shall modify the Detailed Project Report of the proposed Mahadayi Hydro Electric Power Project adopting the water availability at 75% dependability at the proposed project site limiting to a maximum of 227.4 Mcum (8.02 tmc), that is, the water availability at 75% dependability assessed by the Tribunal (from the catchment area of 93.19 sq.km. i.e., without the Bhandura catchment of 32.25 sq.km.) only. The State of Karnataka is directed in clear terms that such utilizations would be permissible only after thorough review and modification of the Detailed Project Reports and that the proposals in the form of Detailed Project Reports would be considered for implementation only:- (a) after technical appraisal of the proposed projects by the Central Agencies; and (b) after obtaining all mandatory clearances as required by law. Until such exercises are completed,

no amount of water shall be actually utilized by the State of Karnataka at the proposed Mahadayi Hydro Electric Power Project at Kotni;

- (iv) The demand of the State of Karnataka for diversion of 156.6 Mcum (5.527 tmc) of water of Mahadayi river basin to the Supa reservoir of the Kali Hydro-Electric Power Project, for generation of hydro-power is not found justified by the Tribunal, and is therefore, rejected;
- (v) The demand of the State of Karnataka in respect of proposed diversion of 198.3 Mcum (7 tmc) of surplus water from the proposed Kotni reservoir of the Mahadayi Hydro Electric Power Project, has also not been found justified and is hereby rejected by the Tribunal;

B. MAHARASHTRA

- (i) The Tribunal permits the State of Maharashtra limiting to 15.93 Mcum (0.56 tmc) of water for Viridi Large MI Project, which shall include all consumptive uses including reservoir losses, subject to the condition that the State of Maharashtra shall revise the project features and prepare a modified detailed project report (DPR) to utilize a maximum 15.93 Mcum (0.56 tmc) of water for various purposes within the basin;
- (ii) The Tribunal also permits the State of Maharashtra to use a total of 21.8 Mcum (0.77 tmc) of water in respect of four proposed projects, namely, (a) 0.32 tmc for (Morachi Rai) Minor Irrigation Project, (b) 0.16 tmc for Viridi B Minor Irrigation Project, (c) 0.27 tmc for Dhangarwadi Minor Irrigation Project, and (d) 0.02 tmc for Ambadgaon Minor Irrigation Project;
- (iii) The aforesaid projects shall require thorough review and modification of the Detailed Project Reports by the State Government of Maharashtra before implementation and shall be undertaken only (a) after technical appraisal of the proposed projects by the Central Agencies; and (b) after obtaining all mandatory clearances as required, by law;
- (iv) In all, the State of Maharashtra is permitted to utilize 37.73 Mcum (1.33 tmc) of Mahadayi water which shall be inclusive of all consumptive uses including reservoir and other losses. Rest of the claims of the State of Maharashtra is not found justified and are hereby rejected;

C. GOA

- (i) The Tribunal finds that the profile of the identified 59 project sites, presented through Detailed Project Reports by the State of Goa (although these reports cannot be considered as the "Detailed Project Reports"), particularly in respect of availability of water at each of the project sites, availability of utilizable water, and other related matters, and the projected utilization of water for various purposes, are not based on requisite field investigations and studies. But, the identification of 59 water resources development project sites by the State of Goa, is a step in the positive direction. In the absence of any other reliable action plan, the Tribunal permits the State of Goa to go ahead with: (a) undertaking proper investigations and studies; (b) preparing the detailed project reports; (c) seeking clearances from central agencies; and (d) obtaining all mandatory clearances from the competent authorities for a maximum consumptive utilization (including drinking water requirements for both human beings and livestock, municipal water needs, irrigation water requirements and industrial water demands) of 668 Mcum (24 tmc) of water of Mahadayi river basin at seventy-five percent dependability through aforementioned 59 identified projects. The Tribunal does not put any restriction on non-consumptive use of water of Mahadayi river basin by the State of Goa;
- (ii) The permission of the Tribunal to the State of Goa to plan for utilization of 668 Mcum (24 tmc) of water at seventy-five percent dependability, is over and above the existing utilization of 9.395 tmc by the State of Goa;
- (iii) The State of Goa is permitted to plan and utilize a maximum of 24 tmc of water at seventy-five percent dependability, as inbasin needs subject to following conditions:
 - (a) Availability of water at seventy-five percent dependability and the utilizable water at each of the aforementioned sites shall be assessed after duly accounting for the environmental flow in accordance with "Standard Terms of Reference for

Environmental Impact Assessment or Environmental Management Plan Report for Projects or Activities Requiring Environment Clearance under EIA Notification 2006” of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in April 2015;

- (b) Technical appraisal of the detailed project report of each of the aforementioned 59 projects shall be conducted by the Central Agencies; and
- (c) Mandatory clearances for each of the aforementioned 59 projects by the competent authorities.

Clause-X

The Order passed by this Tribunal on 17th April, 2014, while disposing I.A. No. 1 of 2012 filed by the State of Goa, will continue to be operative and will stand vacated or revoked only after:

- (i) The State of Karnataka prepares revised Detailed Project Report for consumptive uses within the basin or diversion of water outside the basin including the reservoir losses and other related matters, for not more than 1.72 tmc at the proposed Kalasa dam site as permitted under Clause VIII & IX;
- (ii) The revised Detailed Project Report of Diversion Scheme at Kalasa Dam site is appraised by the Central Agencies and is duly cleared;
- (iii) All mandatory clearances are obtained as per law; and
- (iv) The State of Karnataka is allowed to take up works as per duly approved revised Detailed Project Report either by the Mahadayi Water Management Authority or the Union Government.

Clause-XI

The Order passed by this Tribunal on 11th February, 2015, while disposing I.A. No. 28 of 2012 filed by the State of Goa, will continue to be operative and will stand vacated or revoked only after:

- i. The State of Maharashtra prepares revised Detailed Project Report of Viridi Large MI Project, limiting to consumptive use of 0.56 tmc of water including reservoir losses and other related matters as permitted under Clause VIII & IX;
- ii. The revised Detailed Project Report of Viridi Large MI Project is appraised by the Central Agencies and is duly cleared;
- iii. All mandatory clearances are obtained as per law; and
- iv. The State of Maharashtra is allowed to take up works as per duly approved revised Detailed Project Report either by the Mahadayi Water Management Authority or the Union Government;

Clause-XII

The Central Government shall constitute an Authority, called ‘Mahadayi Water Management Authority’ to implement the Report and final decision of Mahadayi Water Disputes Tribunal with functions and compositions etc. as mentioned at para 1350 to para 1369 of this Report;

Clause-XIII

At any time after 31st August, 2048, the Award or Final Decision may be reviewed or revised by a Competent Authority or Tribunal, but such review or revision shall not as far as possible disturb any utilization that may have been undertaken by any State within the limits of allocation made to it;

Clause-XIV

The Governments of Goa, Karnataka and Maharashtra shall bear their own costs for appearing before the Tribunal. The expenditure of the Tribunal shall be borne and paid by the aforesaid three States in equal shares;

Clause-XV

Nothing contained herein shall prevent the alteration, amendment or modification of all or any of the Clauses by agreement between the Parties; and

Clause-XVI

This Award or Final Decision of the Tribunal shall come into operation on the date of its publication in the Official Gazette as required by section 6 of the Inter-State River Water Dispute Act, 1956.

New Delhi

Dated: August 14, 2018

Sd/- J. M. Panchal; Chairman

Sd/- Viney Mittal; Member

Sd/- P. S. Narayana, Member

[F. No. 19/2/2020-BM]

U. P. SINGH, Secy.